

Witness no.....05.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken
the.....09.09.2019.....day of.....सोमवार.....Witness's apparent age.....31 वर्ष.....

States on affirmation.....शपथपूर्वक.....my name is.....श्रीमती सविता खरे
Wife of.....श्री विष्णु चौरे.....Occupation.....आरक्षक.....
address....थाना राजिम जिला गरियाबंद (छ.ग).....

1. मैं दिनांक 12.04.2019 को थाना राजिम में आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। थाना राजिम में दर्ज अपराध क्रमांक 100/2019 धारा 376 भादस की पीडिता का गुप्तांग परीक्षण कराने हेतु दिनांक 13.04.2019 को 11.45 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फिंगेश्वर लेकर गयी थी। इसी दिनांक को चिकित्सक के द्वारा एक सीलबंद पैकेट में दो नग ग्लास स्लाइड माइक्रोस्कोपिक परीक्षण हेतु मुझे दिया गया था जिसे पुलिस थाना राजिम लाकर पेश की थी। जप्ती पत्र प्रपी-4 हैं जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिवाकर थिटे अधिवक्ता वास्ते आरोपी

2. यह कहना सही है कि जो पैकेट मैंने थाना प्रभारी को सौंपा वह सीलबंद था उसके अंदर क्या था मुझे नहीं पता।

साक्षी को उसका कथन पढ़कर
सुनाये जाने पर उसने कथन सही
होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(विजय कुमार होता)
विशेष न्यायाधीश
एट्रोसिटिज, रायपुर (छ.ग)

(विजय कुमार होता)
विशेष न्यायाधीश
एट्रोसिटिज, रायपुर (छ.ग)

गवाह के हस्ताक्षर.....